



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1573) पटना, शनिवार, 4 अक्टूबर 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

4 अक्टूबर 2025

सं० 09/नि०-19-04/2025-18791/सा०प्र०—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल “बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित)” में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (i) यह नियमावली “बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025” कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-3 का प्रतिस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-3 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है।—

“3. संवर्ग की संरचना।—

(i) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी—

क्र०सं०	पदनाम	प्रोन्नति का स्तर	प्रास्थिति
1.	आशुलिपिक	मूल कोटि	अराजपत्रित
2.	निजी सहायक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	अराजपत्रित
3.	आप्त सचिव	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
4.	प्रधान आप्त सचिव	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
5.	वरीय प्रधान आप्त सचिव	चतुर्थ प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

- (ii) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।
- (iii) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. बी. राजेन्दर,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

4 अक्टूबर 2025

सं० 09/नि०-19-04/2025-18792/सा०प्र०, अधिसूचना संख्या 18791 दिनांक 4 अक्टूबर 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. बी. राजेन्दर,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 4th October 2025

No.-09/Ni-19-04/2025-18791/GAD—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, hereby, makes the following Rules to amend the Bihar Secretariat Stenographer Service Rules, 2006 (as amended from time to time) in Government of Bihar-

1. Short Title, Extent And Commencement.-

- (i) These Rules may be called as the “Bihar Secretariat Stenographer Service (Amendment) Rules, 2025”.
- (ii) It extends to the whole of the State of Bihar;
- (iii) It shall come into force at once.

2. Substitution of Rule-3 of Bihar Secretariat Stenographer Service Rules, 2006 (as amended from time to time)-Rule.-3 of the said rule shall be substituted as follows-

“ 3. (i) Structure of this cadre shall be as follows:-

Sl.no.	Designation	Status
1.	Stenographer	Basic Grade
2.	Personal Assistant	First Promotional Level
3.	Private Secretary	Second Promotional Level
4.	Principal Private Secretary	Third Promotional Level
5.	Senior Principal Private Secretary	Fourth Promotional Level

- (ii) Sanction strength of the various category of the cadre shall be same as determined by the Government, from time to time.
- (iii) Pay/Pay scale of the various category of the cadre shall be same as may be determined by the Finance Department, Government of Bihar, from time to time.”

By the order of Governor of Bihar,
Dr. B. Rajender,
Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1573-571+300-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>